संख्या-119/2022/126/2022/002-71-2099-783-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक 20 सितंबर, 2022

विषय:- के0जी0एम0यू0 में निर्माणाधीन कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार संबंधी प्रायोजना हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3705/योजना अनु0/2022, दिनांक 13-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ में निर्माणाधीन कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार संबंधी प्रायोजना हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 13-06-2022 में प्रस्तावित उपकरणों की संलग्न सूची को अनुमोदित करते हुए उक्त उपकरणों के क्रय किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0 के उपकरण एवं संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 1018.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत उपकरणों की सूची के मूल्य की शेष धनराशि रु0 2692.37 लाख की धनराशि क्रय प्रक्रिया के इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने पर पुनर्विनियोग से अथवा आगामी बजट से उपलब्ध करायी जाएगी।
2. उपकरणों के क्रय किये जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-558/71-2-2021-698/2020 टी0सी0, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कुलपति/वित्त अधिकारी, के0जीएम0यू0 का होगा।
3. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के प्रचलित शासनादेशों के द्वारा जिन उपकरणों के संबंध में मानकीकरण करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में उक्तातनुसार निर्धारित तकनीकी विशिष्टिताओं एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. विश्वविद्यालय द्वारा उपकरण/संयंत्र मद में उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं शेष उपकरणों के निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर धनराशि की मांग शासन से की जाएगी। धनराशि प्राप्त होने के उपरांत क्रय की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त् औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जाए।
6. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्याक्ष की होगी।
9. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त अधिकारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
10. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार आडिट भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
11. विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
12. उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/ उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
15. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्ययक और उपयोगी उपकरणों का क्रय किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
16. उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रु0 1018.15 लाख के सापेक्ष ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा।
17. प्रेषित तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही जेम पोर्टल पर ई-बिड, कस्टम बिड/कम्पेयर के माध्यम से करने पर प्री-बिड मीटिंग के उपरान्त चिकित्सकीय उपकरणों के तकनीकी स्पेसिफिकेशन में कालान्तर में यदि कतिपय कारणों से किसी प्रकार के आंशिक संशोधन की स्थिति बनती है तो उसे कुलपति, के0जी0एम0यू0 के अनुमोदनोपरान्त संशोधन करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,18,15,000 (रुपये दस करोड़ अठारह लाख पंद्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-119/2022/126/2022/002-71-2099-783-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वाविद्यालय, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-119/2022/126/2022/002-71-2099-783-2021,

दिनांक 20 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

कार्डियोलाजी विभाग हेतु उपकरणों की सूचीः-				
क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रत्येक का अनुमानित कीमत (लाख में) पांच वर्ष की वारंटी एवं टैक्स सहित	मांग किये गये उपकरणों की संख्या	कुल वांछित धनराशि (लाख में)
1	Cath Lab	800.69	02	1601.38
2	3D Echo Cardiography Machine	107.60	06	645.60
3	Bed side Monitor with 06 Central Nursing Station	8.38	96	804.48
4	Temporary Pacing Pacemaker Machine Single Channel-20 Duble Channer-05	1.70 3.00	 20 05	 34.00 15.00
5	Syring Infusion Pump	0.70	200	140.00
6	Ventilatior	20.35	04	81.40
7	C-Arm Machine	25.00	01	25.00
8	Multichannel ECG Machine	3.75	10	37.50
9	Autometic Chest Compressure for Cardiac Massage (CPR) for ICCU	15.50	02	31.00
10	Defibrillator with Exernal pacing faculty	6.5	12	73.80
11	Non Invasive Ventilator (BIPAP)	4.48	12	53.76
12	OCT Machine (Optical Coherence Temopgraphy)	125.00	01	125.00
13	TMT Machine	21.30	02	42.60
	कुल अनुमानित धनराशि (लाख में)			3710.52

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 119
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 9/20/2022 4:08:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 9/20/2022 4:08:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 9/20/2022 4:08:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 1,037 (approx.)
Number of Characters: 5,913 (approx.)